वार्षिक लेखा
ANNUAL ACCOUNTS

वर्ष 2022-2023
YEAR 2022-2023

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, मुम्बई
TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS,
MUMBAI

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अधीन 31 मार्च 2023 तक महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण (टीएएमपी), मुंबई के संलग्न तुलन पत्र, उस दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा तथा प्राप्तियों एवं भुगतान लेखाओं की लेखापरीक्षा की है। वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बजट प्रभाग) ने पत्र दिनांक 16 अगस्त 2023 द्वारा 2022-23 तक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को टीएमपी, मुंबई के लेखाओं की लेखापरीक्षा का कार्य सौंपा था। ये वित्तीय विवरण टीएएमपी के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखा पद्धतियों के अनुरूपता, लेखाकरण मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में लेखा व्यवहार पर टिप्पणियां शामिल हैं। विधि, नियम और विनियम (औचित्य और नियमितता) और दक्षता-सह-निष्पादन पहलुओं, आदि, यदि कोई हो, के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेन-देनों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों की सूचना अलग-से निरीक्षण रिपोर्टों/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से दी जाती है।

3. हमने भारत में सामान्यतः स्वीकार किए जाने वाले लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपना लेखापरीक्षा किया है। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करें कि क्या वित्तीय विवरण भौतिक गलत विवरणों से मुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में, परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशि और प्रकटीकरण का समर्थन करने वाले सबूतों की जांच करना शामिल है। एक लेखापरीक्षा में उपयोग किए गए लेखाकरण सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हम मानते हैं कि हमारा लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करता है।

4. हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(i). हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।

(ii). इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए तुलन-पत्र, आय और व्यय लेखा तथा प्राप्तियों एवं भुगतान लेखा को वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लिए लेखा के समान प्रारूप में तैयार किया गया है।

(iii). हमारी राय में, वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए लेखाओं के एकसमान प्रारूप के तहत आवश्यकतानुसार टीएएमपी द्वारा उपयुक्त लेखा बहियों और अन्य प्रासंगिक रिकार्डों का रखरखाव किया गया है, जहां तक ऐसी बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

(iv). हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

क. आय और व्यय लेखा
व्यय
अन्य प्रशासनिक व्यय
मरम्मत और अनुरक्षण रु. 6.99 लाख (अनुसूची 9)

(i). इसमें मौजूदा टैली ईआरपी 9 सिल्वर, सिंगल यूजर के अपग्रेडेशन के लिए टैली ईआरपी 9 गोल्ड, मल्टीयूजर (तीन साल की वैधता के साथ) की खरीद के लिए व्यय किए गए 39,500 रुपये शामिल हैं।

टैली ईआरपी 9 सिल्वर, सिंगल यूजर को केवल एक कंप्यूटर द्वारा सक्रिय और उपयोग किया जा सकता है जबकि टैली ईआरपी 9 गोल्ड, मल्टीयूजर एक कंप्यूटर पर सक्रिय किए जाने की अनुमति देता है लेकिन एक ही नेटवर्क पर असीमित कई कंप्यूटरों से एक्सेस करता है। इस प्रकार, भविष्य के आर्थिक लाभों का लाभ उठाया जाता है और लेखाकरण मानक 26 के अनुसार पूंजीकृत किया जाना चाहिए था।

गैर-पूंजीकरण के परिणामस्वरूप 'अचल परिसंपत्तियों' (सकल प्रखंड) में 39,500 रुपये की कमी, 'अन्य प्रशासनिक व्यय' की 39,500 रुपये की अधिकता, 'मूल्यह्रास' के कम उल्लेख में 1,443 रुपये और 'व्यय की तुलना में आय की अधिकता' को 38,057 रुपये कम बताया गया है।

(ii). उपर्युक्त में तीन वर्षों की वैधता के साथ तीन सीगेट 4 टीबी वायर्ड पोर्टेबल हार्ड डिस्क की खरीद के लिए 23,460 रुपये शामिल हैं।

गैर-पूंजीकरण के परिणामस्वरूप 'अचल परिसंपत्तियों' (सकल प्रखंड) में 23,460 रुपये, 'अन्य प्रशासनिक व्ययों' के अधिक उल्लेख में 23,460 रुपये, मूल्यह्रास के कम विवरण में 985 रुपये और 'व्यय की तुलना में आय की अधिकता' को 22,475 रुपये तक कम विवरण दिया गया है।

ख. सहायता अनुदान

वर्ष 2022-23 के दौरान टीएएमपी द्वारा प्राप्त विभिन्न सहायता अनुदानों की प्रारंभिक शेष राशि, प्राप्ति और उपयोग के विवरण नीचे दिए गए हैं:

(रु. लाख में)

विवरण	प्रारंभिक जमा शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	वर्ष के दौरान उपयोग	अंत जमा शेष (2+3-4)
1.	2.	3.	4.	5.
राजस्व अनुदान	128.77 (0.75 लाख के कार्ड बैलेंस को छोड़कर)	883.72 (इसमें 875.00 लाख रुपये का अनुदान और 0.46 लाख रुपये की विविध प्राप्तियां तथा 8.26 लाख रुपये की ब्याज आय शामिल है)	882.09	130.40 (0.75 लाख रुपये के कार्ड बैलेंस को छोड़कर)

ग. प्रबंधन पत्र

जिन कमियों को पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी किए गए प्रबंधन पत्र के माध्यम से प्राधिकरण के ध्यान में लाया गया है।

(v). पिछले अनुच्छेद में हमारे अवलोकन के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए तुलन पत्र और आय तथा व्यय लेखा लेखा-बहियों के अनुरूप हैं।

(vi). हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण लेखाकरण नीतियों और लेखाओं के लिए टिप्पणियों के साथ पढ़े जाते हैं, और ऊपर बताए गए महत्वपूर्ण मामलों और **अनुलग्नक-I** में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन रहते हुए, इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भारत में सामान्यतः स्वीकार किए जाने वाले लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं:

(क) जहां तक यह 31 मार्च 2023 तक टीएएमपी के मामलों की स्थिति के तुलन-पत्र से संबंधित है; और

(ख). जहां तक आय और व्यय लेखा से संबंधित है, उस दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए व्यय की तुलना में आय की अधिकता।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लिए और उनकी ओर से

(गुलजारी लाल)
लेखापरीक्षा महानिदेशक (पोत परिवहन), मुंबई

स्थान: मुंबई
तिथि: 07 दिसंबर 2023

अनुलग्नक I

1. **आंतरिक लेखापरीक्षा**

वर्ष 2022-23 के दौरान सनदी लेखाकार की एक फर्म द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा किया गया था।

2. **आंतरिक नियंत्रण प्रणाली**

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त पाई गई।

3. **अचल परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली**

2022-23 के दौरान अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया।

4. **वस्तुसूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली**

वर्ष के अंत में कोई वस्तुसूची नहीं थी।

5. **सांविधिक देय राशियों के भुगतान में नियमितता**

प्राधिकरण अविवादित सांविधिक देय राशियों को नियमित रूप से जमा कर रहा है।

उप निदेशक

स्थान: मुंबई
दिनांक: 07 दिसंबर 2023

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक लेखे
विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
	महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण	
1.	तुलन पत्रक	6
2.	आय एवं व्यय	7
3.	प्राप्ति और भुगतान लेखे	8
4.	अनुसूची 1 – कॉर्पस/पूंजी निधि	9
	अनुसूची 2 – वर्तमान देयताएं और प्रावधान	
	अनुसूची 3 – आस्थगित सरकारी अनुदान	
5.	अनुसूची 4 – अचल परिसंपत्तियां अनुसूची	10
6.	अनुसूची 5 – वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम	11
7.	अनुसूची 6 – अनुदान/सहायिकियां	12
	अनुसूची 7 – अन्य आय	
	अनुसूची 8 – स्थापना व्यय	
8.	अनुसूची 9 – प्रशासनिक व्यय आदि	13
	अनुसूची 10 – बैंक प्रभार	
	अनुसूची 11 – पूर्व अवधि मदें	
9.	उप-अनुसूची क – देय वेतन और मजदूरी	14
	उप-अनुसूची ख – देय अन्य व्यय	
	उप-अनुसूची ग – विविध ऋणदाता	
10.	उप-अनुसूची घ– वेतन और मजदूरी	15
	उप-अनुसूची ङ– भत्ता और बोनस	
	उप-अनुसूची च– मरम्मत और रखरखाव	
	उप-अनुसूची छ– डाक व्यय, दूरभाष और संचार	
	उप-अनुसूची ज – प्रिंटिंग और स्टेशनरी	
	उप-अनुसूची झ – यात्रा और वाहन	
	उप-अनुसूची ञ – शुल्क और अंशदान	
	उप-अनुसूची ट – प्रोफेशनल प्रभार	
	उप-अनुसूची ठ – राजपत्र अधिसूचना में विज्ञापन प्रचार एवं व्यय	
	उप-अनुसूची ड – विविध व्यय	
	उप-अनुसूची ढ – पुस्तकें, समाचारपत्र और पत्रिकाएं	
	उप-अनुसूची ण – माल एवं सेवा कर (जीएसटी)	
11.	उप-अनुसूची त – पूर्व अवधि खाता के ब्योरे	16
12.	अनुसूची -12 – महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखाओं के लिए टिप्पणियां	17-28
13.	बैंक समाधान विवरण बचत बैंक खाता (आईओबी, फोर्ट, मुंबई)	28A
14.	बैंक समाधान विवरण चालू खाता (एसबीआई, माझगांव, मुंबई)	28B
	टीएएमपी कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि न्यास खाता	
15.	तुलन पत्रक	29
16.	आय और व्यय	30
17.	प्राप्ति और भुगतान खाते	31
18.	बैंक समाधान विवरण (बचत बैंक खाता 93967)	32
19.	सावधि जमाराशि के सीपीएफ ब्योरे	33
	टीएएमपी ईएल नकदीकरण तथा उपदान खाता	
20.	तुलन पत्र	34
21.	आय एवं व्यय	35
22.	प्राप्ति और भुगतान खाते	36
23.	बैंक समाधान विवरण (बचत बैंक खाता सं. 96077)	37
24.	सावधि जमाराशि के उपदान ब्योरे	38
25.	वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक लेखा और लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा	39-40

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

31 मार्च 2023 के अनुसार तुलन पत्रक

राशि रू. में

विवरण	अनुसूची	31.03.2023	31.03.2022
देयताएं			
कॉर्पस/पूंजी निधि	1	72,15,651	10,14,838
आस्थगित सरकारी अनुदान	2	37,05,407	22,62,530
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	3	1,31,15,023	1,29,52,436
जोड		**2,40,36,081**	**1,62,29,804**
परिसंपत्तियां			
अचल परिसंपत्तियां	4	37,05,407	22,62,530
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम	5	2,03,30,674	1,39,67,274
जोड		**2,40,36,081**	**1,62,29,804**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां 12
आकस्मि देयताएं और लेखाओं के लिए टिप्पणियां

उप निदेशक/आ.सं.अ **मुंबई, 4 मई 2023**	**निदेशक (ज्यो. वें)**	**सदस्य (वित्त)**

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

राशि रू. में

विवरण	अनुसूची	31.03.2023	31.03.2022
आय:			
अनुदान/सहायिकीयां	6	8,46,37,014	7,54,87,157
अन्य आय	7	6,199	6,25,838
जोड़ (क)		**8,46,43,213**	**7,61,12,995**
व्यय:			
स्थापना व्यय	8	4,40,76,843	4,46,26,958
अन्य प्रशासनिक व्यय	9	3,23,35,542	3,34,21,267
बैंक प्रभार	10	2,213	3,775
मूल्यह्रास	4	12,95,957	5,90,650
जोड़ (ख)		**7,77,10,555**	**7,86,42,650**
घटायें: पूर्व अवधि मदें (ग)	11	7,31,845	12,73,776
व्यय पर आय की अधिकता (क-ख-ग)		62,00,813	(38,03,431)
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां आकस्मि देयताएं और लेखाओं के लिए टिप्पणियां	12		

उप निदेशक/आ.सं.अ **मुंबई, 4 मई 2023**	**निदेशक (ज्यो. वें)**	**सदस्य (वित्त)**

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान लेखा

राशि रु. में

प्राप्तियां	2022-23	2021-2022	भुगतान	2022-23	2021-2022
प्रारंभिक जमाशेष			**व्यय**		
हाथ में रोकड़	-		स्थापना व्यय	3,10,11,734	2,44,26,455
हाथ में स्टांप और फ्रैंकिंग जमाशेष	47,238	49,947	प्रशासनिक व्यय	4,03,26,530	3,87,88,550
बचत और वर्तमान खाते में	1,28,77,436	2,38,44,216			
निवेश और अंतरण			**निवेश और अंतरण**		
			अचल परिसंपत्तियों में परिवर्धन	27,69,469	-
ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां	1,25,716	50,634	ईएल नकदीकरण निधि और उपदान निधि खाता में अंशदान	42,24,370	65,00,730
टीएएमपी कर्मचारी सीपीएफ न्यास से अंतरण	5,62,078	3,47,641	टीएएमपी कर्मचारी सीपीएफ न्यास में अंशदान	23,18,300	22,68,186
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री से राशियां	31,536	-	ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां	81,74,759	65,67,715
			अन्य सांविधिक भुगतान	84,694	4,11,043
अनुदान			**अन्य भुगतान**		
			अन्य व्यय		
भारत सरकार वेतन एवं सामान्य से	8,75,00,000	6,66,07,000	कार्ड भुगतान	1,23,851	1,16,414
			बैंक प्रभार	2,213	2,241
अन्य प्राप्तियां					
विविध प्राप्ति	14,353	42,120	**अंत जमाशेष**		
छुट्टी वेतन	-	1,50,576	हाथ में रोकड़		
एसबी पर प्राप्त ब्याज	8,26,013	7,35,170	हाथ में स्टांप और फ्रैंकिंग जमाशेष	67,241	47,238
अन्य प्राप्तियां	1,58,814	1,78,704	बचत खाता/चालू खाता में	1,30,40,023	1,28,77,436
जोड़	**10,21,43,184**	**9,20,06,008**	**जोड़**	**10,21,43,184**	**9,20,06,008**

उ.नि./आ. सं. अ
मुंबई, 04 मई 2023

निदेशक (ज्यो. वें)

सदस्य (वित्त)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

राशि रू. में

अनुसूची - 1	Sub Schedule	Balance as at 31.03.2023	Balance as at 31.03.2022
कॉर्पस/पूंजी निधि			
1 वर्ष की शुरूआत में जमाशेष		10,14,838	48,18,269
जोड़ें/(घटायें): आय एवं व्यय खाते से अंतरित निवल आय (व्यय) का जमाशेष		62,00,813	(38,03,431)
जोड		**72,15,651**	**10,14,838**
अनुसूची - 2			
आस्थिगत सरकारी अनुदान			
1 कंपनी अधिनिमय, 2013 के अनुसार ओपी डब्ल्यूडीवी		22,62,530	18,17,912
2 जोड़ें: प्राप्त अनुदान से खरीदी गई परिसंपत्ति		27,69,469	10,55,540
3 घटायें: बेची गई परिसंपत्तियां		900	20,272
4 घटायें: वर्ष के लिए मूल्यह्रास		12,95,957	5,90,650
5 घटायें: एफवाई 2021-22 के लिए मूल्यह्रास समायोजन		29,735	-
जोड़		**37,05,407**	**22,62,530**
अनुसूची - 3			
वर्तमान देयताएं और प्रावधान			
1 देय वेतन और मजदूरी	क	3,50,147	23,42,779
2 देय अन्य व्यय	ख	25,22,648	19,97,246
3 देय लेखापरीक्षा शुल्क		2,80,000	50,000
4 विविध ऋणदाता	ग	32,67,647	32,87,940
5 अव्ययित अनुदान जमाशेष		66,94,580	52,74,471
जोड़		**1,31,15,023**	**1,29,52,436**

उप निदेशक/आ.सं.अ
मुंबई, 4 मई 2023

निदेशक (ज्यो. वें)

सदस्य (वित्त)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

अनुसूची-4 — **अचल परिसंपत्तियां 2022-23** — राशि रू. में

क्र.सं.	परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास	सकल प्रखंड				मूल्यह्रास						निवल प्रखंड	
		1.04.2022 को सकल प्रखंड	2022-23 के दौरान परिवर्धन	2022-23 के दौरान कटौती	31.03.23 को सकल प्रखंड	1.04.2022 को मूल्यह्रास	एफवाई 2021-22 (पूर्व अवधि) से संबंधित मूल्यह्रास समायोजन	एफवाई 2022-23 के लिए मूल्यह्रास	निपटान पर मूल्यह्रास	वर्ष 2022-23 के लिए कुल मूल्यह्रास	31.03.2023 को संचयी मूल्यह्रास	31.03.2023 को निवल प्रखंड	31.03.2022 को निवल प्रखंड
		क	ख	ग	घ=क+ख-ग	ङ	च	छ	ज	झ=च+छ-ज	त्र=ङ+झ	ट=घ-त्र	ठ=क-ङ
1	फर्नीचर और जुड़नार	1,19,04,850	4,43,250	18,000	1,23,30,100	1,11,20,724	-	97,850	17,100	80,750	1,12,01,474	11,28,626	7,84,126
2	कार्यालय उपकरण	44,73,976	19,05,719	-	63,79,695	39,69,002	41,616	6,16,163	-	6,57,779	46,26,781	17,52,914	5,04,974
3	कंप्यूटर	59,32,222	4,20,500	-	63,52,722	50,71,898	-	4,56,957	-	4,56,957	55,28,855	8,23,867	8,60,324
4	वेबसाइट डेवलपमेंट	16,74,932	-	-	16,74,932	15,61,826	(11,881)	1,24,987	-	1,13,106	16,74,932	-	1,13,106
	जोड़	**2,39,85,980**	**27,69,469**	**18,000**	**2,67,37,449**	**2,17,23,450**	**29,735**	**12,95,957**	**17,100**	**13,08,592**	**2,30,32,042**	**37,05,407**	**22,62,530**
	पिछला वर्ष	**2,33,35,885**	**10,55,540**	**4,05,445**	**2,39,85,980**	**2,15,17,973**	**-**	**5,90,650**	**3,85,173**	**5,90,650**	**2,17,23,450**	**22,62,530**	**18,17,912**

उप निदेशक/आ.सं.अ
मुंबई, 4 मई 2023

निदेशक (ज्यो. वें)

सदस्य (वित्त)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

राशि रू. में

अनुसूची-5		31.03.2023 को जमाशेष		31.03.2022 को जमाशेष
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम				
क **वर्तमान परिसंपत्तियां**				
1 **विविध ऋणी**				
क) 6 माह से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण	-			
ख) अन्य	-	-	-	-
2 **हाथ में रोकड़ शेष**	-	-	-	-
3 **डाकव्यय और फ्रेंकिंग जमाशेष**	67,241	**67,241**	47,238	**47,238**
4 **बैंक जमाशेष**				
क) अनुसूचित बैंकों में				
i) इंडियन ओवरसीज बैंक	1,30,19,438		1,28,32,529	
ii) भारतीय स्टेट बैंक	20,585		44,907	
iii) कैश कार्ड जमाशेष	75,000	**1,31,15,023**	75,000	**1,29,52,436**
5 **अंतिम स्टॉक - उपभोज्य और स्टेशनरी**	4,31,840	**4,31,840**		**1,87,474**
जोड़ (क)		**1,36,14,104**		**1,31,87,148**
ख **ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां**				
1 ऋण और अग्रिम				
क) स्टॉफ	1,24,015		29,745	
ख) डीएवीपी	1,68,063	**2,92,078**	-	**29,745**
	-	-	-	-
2 अग्रिम और नकद या वस्तु में वसूलीयोग्य अन्य राशियां याप्राप्त होने वाला मूल्य				
क) जमानत जमाराशि	1,99,579		5,29,680	
ख) वेबसाइट के डेवलपमेंट के लिए भुगतान किया गया अग्रिम	61,31,197		-	
ग) पूर्व भुगतान व्यय	93,716	**64,24,492**	2,20,701	**7,50,381**
जोड़ (ख)		**67,16,570**		**7,80,126**
कुल (क + ख)		**2,03,30,674**		**1,39,67,274**

उप निदेशक/आ.सं.अ
मुंबई, 4 मई 2023

निदेशक (ज्यो. वें)

सदस्य (वित्त)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

राशि रू. में

अनुसूची-6	उप-अनुसूची	31.03.2023	31.03.2022
अनुदान/सहायिकियां			
1 केंद्रीय सरकार से अनुदान - सामान्य		3,75,00,000	2,52,07,000
2 केंद्रीय सरकार से अनुदान - वेतन		5,00,00,000	4,14,00,000
		8,75,00,000	**6,66,07,000**
घटायें: अचल परिसंपत्तियों की खरीद के लिए उपयोग किया गया अनुदान		27,69,469	10,55,540
		8,47,30,531	6,55,51,460
जोड़ें: बेची गई परिसंपत्तियां		900	20,272
जोड़ें: आस्थगित सरकारी अनुदान के लिए प्रावधान			
वर्तमान वर्ष		12,95,957	5,90,650
पिछला वर्ष		29,735	-
		13,25,692	5,90,650
जोड़ें: पिछले वर्ष का अव्ययित अनुदान जमाशेष		52,74,471	1,45,99,246
घटायें: वर्तमान वर्ष का अव्ययित अनुदान जमाशेष		66,94,580	52,74,471
जोड़		**8,46,37,014**	**7,54,87,157**

अनुसूची-7	उप-अनुसूची	31.03.2023	31.03.2022
अन्य आय			
1 अचल परिसंपत्ति की बिक्री पर लाभ		-	8,860
2 अधिक प्रावधान रिटन बैक		-	4,49,634
3 विविध प्राप्ति		6,199	16,768
4 प्राप्त छुट्टी वेतन अंशदान		-	1,50,576
जोड़		**6,199**	**6,25,838**

अनुसूची-8	उप-अनुसूची	31.03.2023	31.03.2022
स्थापना व्यय			
1 वेतन और मजदूरी	घ	3,33,80,552	3,13,49,434
2 भत्ते और बोनस	ड़	1,31,252	1,50,000
3 मानदेय		6,16,544	5,75,864
4 उपदान निधि में अंशदान		12,05,502	16,89,667
5 एलएसपीसी		4,50,000	7,02,601
6 छुट्टी नकदीकरण निधि में अंशदान		25,24,415	46,72,769
7 चिकित्सा व्यय		19,79,404	25,99,171
8 छुट्टी यात्रा रियायत		6,16,356	2,08,049
9 एनपीएस नियोक्ता अंशदान		17,94,110	15,34,526
10 सीपीएफ नियोक्ता अंशदान और जीएसएलआई नियोक्ता प्रीमियम		13,78,708	11,44,877
जोड़		**4,40,76,843**	**4,46,26,958**

उप निदेशक/आ.सं.अ
मुंबई, 4 मई 2023

निदेशक (ज्यो. वें)

सदस्य (वित्त)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां

राशि रू. में

	अनुसूची- 9	उप-अनुसूची	31.03.2023	31.03.2022
	प्रशासनिक व्यय आदि			
1	बिजली व्यय		5,42,599	4,74,878
2	मरम्मतें और रखरखाव	च	6,98,600	7,87,277
3	किराया, दरें और कर		1,91,55,575	1,33,83,781
4	डाकव्यय, टेलीफोन और संचार	छ	5,66,296	6,83,255
5	प्रिंटिंग और स्टेशनरी	ज	3,83,791	3,66,150
6	यात्रा और वाहन व्यय	झ	8,72,041	5,07,249
7	शुल्क और अंशदान व्यय	ञ	8,36,206	6,46,950
8	लेखापरीक्षा शुल्क		5,10,800	1,42,925
9	आतिथ्य व्यय		1,73,160	1,50,338
10	प्रोफेशनल प्रभार	ट	14,75,732	23,00,933
11	राजपत्र अधिसूचना और विज्ञापन पर व्यय	ठ	79,037	74,37,752
12	विविध	ड	3,72,579	3,21,142
13	पुस्तकें, समाचारपत्र और पत्रिकाएं	ढ	1,37,410	1,40,079
14	एनपीएस सेवा प्रभार		2,430	2,576
15	स्टाफ क्वार्टरों के लिए लाइसेंस शुल्क		22,03,017	15,68,988
16	मैनपावर आपूर्ति		40,90,529	39,67,959
17	प्रशिक्षण व्यय		43,600	2,39,560
18	जीएसटी	ण	84,694	2,73,967
19	जल प्रभार		1,07,446	25,507
	जोड़		**3,23,35,542**	**3,34,21,267**
	अनुसूची-10			
	बैंक प्रभार			
1	बैंक प्रभार		2,213	3,775
	जोड़		**2,213**	**3,775**
	अनुसूची-11			
	पूर्व अवधि मदें			
1	अन्य पूर्व अवधि मदें और आपवादिक मदें	त	7,31,845	12,73,776
	जोड़		**7,31,845**	**12,73,776**

उप निदेशक/आ.सं.अ
मुंबई, 4 मई 2023

निदेशक (ज्यो. वें)

सदस्य (वित्त)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए वित्तीय विवरणों की उप-अनुसूचियां

राशि रू. में

		2022-23	2021-22
क	**देय वेतन और मजदूरी**		
1	वेतन और मजदूरी	-	18,90,094
2	देय बोनस	1,50,000	1,50,000
3	देय वेतन बकाया	2,00,147	3,02,685
	जोड़	**3,50,147**	**23,42,779**
ख	**देय अन्य व्यय**		
1	देय वाहन व्यय	6,500	2,750
2	देय बिजली व्यय	44,000	44,810
3	देय एलएसपीसी व्यय	4,50,000	4,48,190
4	देय चिकित्सा व्यय	83,435	53,358
5	देय समाचारपत्र व्यय	19,800	19,800
6	एनपीएस/सीपीएफ/सीपीएफ वो. कर्मचारी अंशदान	2,86,785	1,90,014
7	शुल्क और कर	6,84,662	5,86,216
8	देय टेलीफोन व्यय	17,995	23,225
9	देय ट्यूशन शुल्क	4,05,000	4,23,450
10	देय लाइसेंस शुल्क	1,91,861	1,56,358
11	देय प्रतिनियुक्त का सीपीएफ/जीपीएफ अंशदान	180	8,729
12	देय कैश कार्ड व्यय	24,932	14,263
13	देय एनपीएस सेवा प्रभार	551	576
14	देय जल प्रभार	19,747	25,507
15	टीडीएस मांग के लिए प्रावधान	2,87,200	-
	जोड़	**25,22,648**	**19,97,246**
ग	**विविध ऋणदाता**		
1	परामर्शदाता	4,10,840	3,61,788
2	मैनपावर परामर्श फर्म	3,79,604	2,86,538
3	अन्य ऋणदाता	15,85,510	16,32,919
4	जमानत जमाराशियां	30,000	32,121
5	इन्टर्न और अन्य	-	2,39,404
6	पीएओ (नियंत्रण), पोत परिवहन मंत्रालय		
	--->ब्याज	8,26,013	7,35,170
	--->परिसंपत्ति की बिक्री पर लाभ	35,680	-
	जोड़	**32,67,647**	**32,87,940**

उप निदेशक/आ.सं.अ
मुंबई, 4 मई 2023

निदेशक (ज्यो. वें)

सदस्य (वित्त)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय विवरणों के लिए उप अनुसूचियां

राशि रू. में

उप अनुसूची			2022-23	2021-22
घ	**वेतन और मजदूरी**			
	वेतन और भत्ता		3,30,15,341	3,07,61,137
	वेतन बकाया राशियां		3,65,211	5,88,297
		जोड़	**3,33,80,552**	**3,13,49,434**
ङ	**भत्ता और बोनस**			
	बोनस		1,31,252	1,50,000
		जोड़	**1,31,252**	**1,50,000**
च	**मरम्मत और रखरखाव**			
	कार्यालय उपकरण		4,69,666	5,56,135
	सिविल रखरखाव और अन्य		2,28,934	2,31,142
		जोड़	**6,98,600**	**7,87,277**
छ	**डाक व्यय, दूरभाष और संचार**			
	डाक व्यय		55,353	1,77,406
	दूरभाष		5,10,943	5,05,849
		जोड़	**5,66,296**	**6,83,255**
ज	**प्रिंटिंग और स्टेशनरी**			
	फोटोकॉपी		48,082	1,05,197
	प्रिंटिंग		8,496	28,991
	स्टेशनरी		3,27,213	2,31,962
		जोड़	**3,83,791**	**3,66,150**
झ	**यात्रा और वाहन**			
	यात्रा		2,85,233	92,508
	वाहन		58,796	1,06,330
	टैक्सी प्रभार		5,28,012	3,08,411
		जोड़	**8,72,041**	**5,07,249**
त्र	**शुल्क और अंशदान**			
	अंशदान		125	1,000
	सदस्यता		3,77,081	2,00,000
	ट्यूशन शुल्क		4,59,000	4,45,950
		जोड़	**8,36,206**	**6,46,950**
ट	**प्रोफेशनल प्रभार**			
	प्रोफेशनल शुल्क		14,75,732	23,00,933
		जोड़	**14,75,732**	**23,00,933**
ठ	**भारत के राजपत्र में विज्ञापन प्रचार और व्यय**			
	प्रकाशन		-	73,83,500
	विज्ञापन		79,037	54,252
		जोड़	**79,037**	**74,37,752**
ड	**विविध व्यय**			
	विविध व्यय		1,90,027	2,96,142
	हिंदी पखवाड़ा व्यय		81,414	-
	फाइलों की स्टिचिंग और पुन:-बाइंडिंग		86,138	-
	लेवरीज़/यूनीफॉर्म व्यय		15,000	25,000
		जोड़	**3,72,579**	**3,21,142**
ढ	**पुस्तकें, समाचारपत्र और पत्रिकाएं**			
	पुस्तकें और पत्रिकाएं		22,065	47,690
	समाचारपत्र		1,15,345	92,389
		जोड़	**1,37,410**	**1,40,079**
ण	**माल और सेवा कर (जीएसटी)**			
	जीएसटी पर आरसीएम		84,694	2,73,967
		जोड़	**84,694**	**2,73,967**

उप निदेशक/आ.सं.अ
मुंबई, 4 मई 2023

निदेशक (ज्यो. वें)

सदस्य (वित्त)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय विवरणों की उप-अनुसूचियां

अनुसूची त — वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पूर्व अवधि खाते के ब्योरे

राशि रु. में

क्र.सं.	बिल सं.	तिथि	विवरण	कुल	व्यय के शीर्ष: कंप्यूटर अग्रिम पर प्राप्त ब्याज	टीडीएस मांग	जल प्रभार	विज्ञापन व्यय	मूल्यहास
1	SAL/IOB/SB/32	23/05/2022	श्री टी.एस. बालासुब्रह्मण्यम को अक्तूबर 2021 से मार्च 2022 तक वेतन से अधिक वसूल की गई राशि की वापिसी	1,800	1,800	-	-	-	-
2	SAL/IOB/SB/124	4/11/2022	आयकर विभाग से प्राप्त टीडीएस मांग के लिए किया गया भुगतान	23,160	-	23,160	-	-	-
3	GEN/IOB/SB/251	4/11/2022	आयकर विभाग से प्राप्त टीडीएस मांग के लिए किया गया भुगतान	20,310	-	20,310	-	-	-
4	GEN/IOB/SB/275	28/11/2022	एमबीपीए को जून 2005 से सितंबर 2021 अवधि के लिए जल प्रभारों हेतु किया गया भुगतान	5,90,151	-	-	5,90,151	-	-
5	GEN/IOB/SB/591	31/03/2023	एफवाई 2020-21 से संबंधित दर भिन्नता समायोजन के लिए बुक किया गया मूल्यह्रास प्रवेश	29,735	-	-	-	-	29,735
6	GEN/IOB/SB/597	31/03/2023	डीएवीपी, नई दिल्ली से प्राप्तियोग्य राशि	(2,20,511)	-	-	-	(2,20,511)	-
7	GEN/IOB/SB/603	31/03/2023	एफवाई 2007-08 से एफवाई 2021-22 तक टीडीएस मांग के लिए सृजित प्रावधान	2,87,200	-	2,87,200	-	-	-
			जोड़	**7,31,845**	**1,800**	**3,30,670**	**5,90,151**	**(2,20,511)**	**29,735**

उ.नि./आ. सं. अ
मुंबई, 04 मई 2023

निदेशक (ज्यो. वें)

सदस्य (वित्त)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

लेखाओं के लिए महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और टिप्पणियां

(क) **प्रस्तावना**

उक्त अधिनियम में अध्याय *V-A* को सम्मिलित करके महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 में संशोधन के माध्यम से 10 अप्रैल, 1997 से महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण का गठन किया गया है। प्राधिकरण का गठन देश के सभी 11 महापत्तनों और वहां प्रचालित बीओटी टर्मिनलों पर प्रशुल्क को विनियमित करने के प्रयोजनार्थ किया गया है।

महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021, 3 नवंबर 2021 से लागू हो गया है। परिणामस्वरूप, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 को निरस्त कर दिया गया है। इस प्रकार, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण अब महापत्तनों या वहां प्रचालनरत निजी प्रचालकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए प्रशुल्क निर्धारित नहीं करता है।

महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 54 (1) के तहत पहले परंतुक के अनुसार, न्यायनिर्णयन बोर्ड का गठन होने तक, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण उक्त अधिनियम के तहत न्यायनिर्णयन बोर्ड के कार्यों का निर्वहन करेगा और न्यायनिर्णयन बोर्ड के गठन के तुरंत बाद अस्तित्व में नहीं रहेगा। केंद्र सरकार को अभी महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 54 (1) के अधीन यथा निर्धारित न्यायनिर्णयन बोर्ड का गठन करना है। इस प्रकार, टीएएमपी आज की तारीख में न्यायनिर्णयन बोर्ड के कार्यों का निर्वहन कर रहा है। इस बीच, 17 जनवरी 2023 को महापत्न न्यायनिर्णयन बोर्ड नियम, 2023 अधिसूचित किए गए हैं और उक्त नियम उक्त तिथि से लागू हो गए हैं।

(ख) **महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां**

(i). खाते ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए जाते हैं और सामान्यत: स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप होते हैं।

(ii). **राजस्व मान्यता:**
सभी व्ययों का लेखा-ज़ोखा उपार्जन आधार पर और अनुदान प्राप्ति आधार पर दिया जाता है। प्राधिकरण अपने व्यय को पूरा करने के लिए अपनी आय/राजस्व सृजित नहीं करता है। प्राधिकरण का संपूर्ण व्यय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा प्रत्येक तिमाही में जारी सहायता अनुदान से पूरा किया जाता है।

(iii). **लेखा बही:**
प्राधिकरण प्राप्ति और संवितरण आधार पर लेखाकरण की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली पर बही-खातों का रखरखाव कर रहा है। तैयार किए गए अंतिम लेखाओं में लेखाकरण की व्यापारिक

प्रणाली के आधार पर प्राप्ति और भुगतान खाता, आय और व्यय खाता तथा तुलन पत्र शामिल हैं।

(iv). **सेवानिवृत्ति लाभ योजना:**

(क). *(i).* अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) योजना प्राधिकरण के उन नियमित कर्मचारियों के लिए लागू है जो 01 जनवरी 2004 से पहले टीएएमपी की सेवा में शामिल हुए हैं। इस योजना को टीएएमपी कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि के माध्यम से आंतरिक रूप से प्रबंधित किया जाता है। सीपीएफ खाते के अलग-अलग बही रखे जाते हैं।

(ii). टीएएमपी के नियमित कर्मचारियों के संबंध में, मासिक भविष्य निधि अंशदान बचत बैंक खाते में रखे जाते हैं। सीपीएफ खाते में संचयनों को समय-समय पर राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि जमाराशियों में निवेश किया जाता है। निवेश पर अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं है, का लेखा-जोखा उपार्जन आधार पर खातों में रखा जाता है।

प्राधिकरण की सेवा में सभी प्रतिनियुक्तिकर्ताओं के संबंध में, प्रतिनियुक्तिकर्ताओं की भविष्य निधि के मासिक अंशदान नियमित रूप से उनके तत्संबंधित मूल विभागों को भेजे जाते हैं।

(iii). 01 मार्च 2022 से 28 फरवरी 2023 तक की अवधि के लिए सीपीएफ जमाशेष पर 7.1% की दर से ब्याज प्रदान किया गया है। सावधि जमा से प्राप्त औसत ब्याज लगभग 5.78% प्रतिवर्ष है।

(ख). नई पेंशन योजना (एनपीएस) टीएएमपी के नियमित कर्मचारियों के संबंध में लागू है जो 01 जनवरी 2004 को या उसके बाद सेवा में कार्यग्रहण किया है। कर्मचारियों के मासिक अंशदान और 14% की दर से नियोक्ता अंशदान तत्संबंधित कर्मचारियों के पीआरएएन नंबर में वर्ष के दौरान एनएसडीएल में नियमित रूप से जमा किए गए हैं।

(v). **उपदान और छुट्टी नकदीकरण:**

टीएएमपी के कर्मचारियों की अधिवर्षिता या त्यागपत्र के समय अर्जित छुट्टी नकदीकरण और उपदान की अदायगी करने में समर्थ होने के लिए, एक अलग टीएएमपी कर्मचारी ईएल नकदीकरण और उपदान निधि व्यवस्थित की गई है। बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, वर्ष के अंत में प्रत्येक निधि शेष राशि में वार्षिक प्रेषण किया जाता है ताकि प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार देयता को दर्शाया जा सके। निधियों का निवेश राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि जमाओं में किया जाता है। निवेश पर अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं है, का हिसाब उपार्जन आधार पर किया जाता है। अर्जित छुट्टी नकदीकरण और उपदान निधि के लिए अलग-अलग लेखा-बही व्यवस्थित किए जाते हैं।

(vi). **अचल परिसंपत्तियां**

(क) अचल परिसंपत्तिययां लागत घटाव संचयित मूल्यह्रास पर उल्लिखित किए गए हैं। परिसंपत्तियों की लागत में निर्माण अवधि के दौरान प्रोद्भूत अन्य आकस्मिक व्यय शामिल हैं या जो उनकी स्थापना के लिए आकस्मिक हैं।

(ख) अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची *II* में निर्धारित इसके उपयोगी जीवनकाल में लिखित मूल्य कार्यपद्धति पर प्रदान किया जाता है।

(ग). वर्ष 2022-23 के लिए मूल्यह्रास निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया गया है।

(vii). (क). सरकारी अनुदानों का लेखाकरण लेखा मानक-12 का पालन करते हुए किया गया है। तदनुसार, मूल्यह्रासीय परिसंपत्तियों से संबंधित अनुदानों को आस्थगित आय के रूप में माना जाता है जिसे परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल पर व्यवस्थित और तर्कसंगत आधार पर आय तथा व्यय विवरण में मान्यता प्राप्त है। आय के लिए ऐसा आबंटन उन अवधियों और अनुपातों में किया जाता है जिसमें संबंधित परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है। परिसंपत्तियों का तर्कसंगत उपयोगी जीवनकाल कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची *II* में यथा निर्धारित माना जाता है।

(ख). आस्थगित सरकारी अनुदान का प्रकटन तुलनपत्र में किया जाता है जब तक कि आय और व्यय विवरण में इसका प्रभाजन नहीं होता है।

(ग). राजस्व से संबंधित अनुदानों को "अनुदान/सहायकियां" शीर्ष के तहत आय और व्यय विवरण में क्रेडिट के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है।

(घ). टीएएमपी को किसी भी "विशिष्ट अचल परिसंपत्तियों" की खरीद के लिए अलग से अनुदान प्राप्त नहीं होता है। परिसंपत्तियां वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान से प्रत्येक वर्ष खरीदी जाती हैं।

आस्थगित सरकारी अनुदान अनुसूची के अंतर्गत, अचल परिसंपत्ति की खरीद के लिए उपयोग किए गए अनुदान की राशि, वर्ष के दौरान बेची गई परिसंपत्तियों का मूल्य और वर्ष के दौरान अचल संपत्तियों पर प्रभारित मूल्यह्रास को अलग से दिखाया गया है।

इसके अलावा, अचल संपत्तियों की खरीद से संबंधित सरकारी अनुदान, वर्ष के दौरान बेची गई परिसंपत्तियों का मूल्य और आस्थगित सरकारी अनुदान के प्रावधान को आस्थगित सरकारी अनुदान के प्रावधान के निवल समेकित आंकड़े को दर्शाने की बजाय अनुदान/सब्सिडियां अनुसूची में अलग से दर्शाये जा रहे हैं।

(viii). **अंतिम स्टॉक:**

अंतिम स्टॉक में उपभोग्य मदों जैसे स्टेशनरी मदें, सेनिटरी मदें, क्रॉकरी मदें और अन्य का मूल्य शामिल होता है। 31 मार्च 2023 तक उक्त मदों के अंतिम स्टॉक का मूल्य एफआईएफओ आधार पर लागत पर मूल्यांकित गया है जो वित्तीय विवरणों में परिलक्षित होता है।

(ग) **लेखाओं पर टिप्पणियां:**

(i). प्राधिकरण का संपूर्ण व्यय गैर-योजना स्कीम के अंतर्गत पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) में भारत सरकार द्वारा जारी सहायता अनुदान (जीआईए) से पूरा किया जाता है। इन अनुदानों का उपयोग प्राधिकरण के वेतन व्यय और प्रशासनिक तथा स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है।

(ii). पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) द्वारा जीआईए (वेतन) और जीआईए (सामान्य) शीर्ष के तहत क्रमशः वेतन शीर्ष और अन्य व्यय के तहत बुक किए गए व्यय को पूरा करने के लिए अनुदान-सहायता (जीआईए) जारी किया जाता है। वर्ष 2022-23 के दौरान, प्राधिकरण को कुल 8,75,00,000/- रुपये प्राप्त हुए, जिनमें से 5,00,00,000/- रुपये जीआईए (वेतन) के लिए और 3,75,00,000/- रुपये जीआईए (सामान्य) के लिए प्राप्त हुए। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त शुल्क को विविध प्राप्तियों के रूप में दिखाया गया है।

(iii). 1 अप्रैल, 2022 को अनुदान की प्रारंभिक शेष राशि 1.30 करोड़ रुपये थी। वर्ष 2022-23 के दौरान, सरकार ने 8.75 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया। वर्ष 2022-23 के दौरान 0.00062 करोड़ रुपये की अन्य आय तथा अन्य प्रशासनिक एवं स्थापना व्यय 8.74 करोड़ रुपये तक किया गया है। 31 मार्च, 2023 को हाथ में अनुदान की शेष राशि 1.31 करोड़ रुपये थी। इस शेष राशि में इंडियन ओवरसीज बैंक में 1,30,19,438/- रुपये, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 20,585/- रुपये और कैश कार्ड शेष राशि में 75,000 रुपये शामिल हैं।

लेखा मानक 12 - सरकारी अनुदानों के लिए लेखाकरण के अनुसार, सरकारी अनुदानों को संबंधित लागतों के साथ मिलान करने के लिए आवश्यक अवधि में व्यवस्थित और तर्कसंगत आधार पर लाभ तथा हानि विवरण में मान्यता दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, सामान्य वित्तीय नियम के नियम 230(7) के अनुसार, जब उसी प्रयोजन के लिए उसी संस्थान या संगठन को आवर्ती सहायता अनुदान स्वीकृत किए जाते हैं, तो अनुवर्ती अनुदान को मंजूरी देते समय पिछले अनुदान की अव्ययित शेष राशि को ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्राधिकरण द्वारा प्राप्त अनुदान संचयी प्रकृति के होते हैं और वर्ष के अंत में अव्ययित शेष राशि की वापसी के लिए किसी बाध्यता/निर्धारण के बिना टीएएमपी के वेतन और सामान्य व्यय को पूरा करने के लिए मंजूर किए जाते हैं। अगले वित्तीय वर्ष के लिए अनुदान मांगते समय वर्ष के अंत में उपलब्ध शेष अव्ययित अनुदान को ध्यान में रखा जाता है। पिछले वर्षों में प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है।

वर्ष के अंत में उपलब्ध अव्ययित शेष राशि (31 मार्च, 2023 तक बकाया देयता को पूरा करने के लिए शेष राशि निर्धारित करने के बाद) 0.67 करोड़ रुपये तक को तुलन पत्र के "देयताएं" साइड के तहत "अव्ययित सहायता अनुदान" के रूप में दिखाया गया है। परिणामस्वरूप, सहायता अनुदान को आय और व्यय खाते के तहत अनुदान/सब्सिडी में केवल 8.08 करोड़ रुपये (8.75 करोड़ - 0.67 करोड़ रुपये = 8.08 करोड़ रुपये) की मान्यता दी गई है

(iv). प्राधिकरण ने एमबीपीए परिसर पर कब्जे के संबंध में एमबीपीए के साथ एक लीव और लाइसेंस समझौता किया था। 2002 से 2009 की अवधि के लिए परिसरों के किराए की बकाया राशियों के कारण एमबीपीए द्वारा 6.19 करोड़ रुपये की राशि का दावा किया गया है। प्राधिकरण ने एमबीपीए की मांग को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया है कि इस मामले पर कोई देनदारी नहीं है।

(v). *(क).* सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 230 (8) के अनुसार, वर्ष 2022-23 के दौरान एमओएस द्वारा जारी जीआईए के मुकाबले टीएएमपी द्वारा अर्जित 8,26,013/- रुपये का ब्याज वर्ष 2023-24 के दौरान भारत की समेकित निधि में प्रेषण के लिए अलग-से निर्धारित किया गया है।

(ख). इसी प्रकार, सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 230 (8) के अनुसार, वर्ष 2023-24 के दौरान भारत की समेकित निधि में प्रेषण के लिए टीएएमपी द्वारा अर्जित 35,680/- रुपये की अन्य आय (स्क्रैप की बिक्री) को अलग-से निर्धारित किया गया है।

(vi). *(क).* कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची *II* की तुलना में "कार्यालय उपकरण और वेबसाइट विकास" शीर्ष के तहत परिसंपत्तियों के लिए अलग-अलग दरों के कारण उत्पन्न प्रभाव वित्तीय वर्ष 2021-22 में लेखापरीक्षा टीम द्वारा उनके लेखापरीक्षा कार्यकाल के दौरान 29,734.06/- रुपये पर मूल्यांकन किया गया था। लेखापरीक्षा टीम द्वारा यथा सुझाए गए निवल प्रभाव को वित्तीय वर्ष 2022-23 के तुलनपत्र में प्रभावी किया गया है।

(ख). कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित दरों पर विचार करते हुए परिसंपत्ति वैबसाइट विकास' का पूरी तरह से मूल्यह्रास किया गया है। इस प्रकार, वैबसाइट विकास' का अवशिष्ट मूल्य, एक अमूर्त परिसंपत्ति होने के नाते 'शून्य' के रूप में दिखाया गया है, हालांकि वेबसाइट कार्यात्मक है।

(vii). समझा जाता है कि विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) की वेबसाइट के अनुसार दिनांक 13.03.2023 को डीएवीपी के पास 2,20,511/- रु की शेष राशि उपलब्ध है। समाचारपत्र में विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में डीएवीपी वेबसाइट में दी गई राशि में से 52,448/- रुपये की राशि समायोजित की गई थी और वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अनुसूची 5 (वर्तमान परिसंपत्तियां) के तहत 1,68,063/- रुपये (अर्थात 2,20,511/- - 52,448/- रुपये) की शेष राशि दर्शाई गई है।

(viii). टीएएमपी ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक (एनआईसीएसआई) को 61,31,197/- रुपये की राशि के लिए न्यायनिर्णयन बोर्ड की वेबसाइट के डिजाइन और विकास, होस्टिंग तथा रखरखाव के लिए कार्य आदेश प्रदान किया है। अनुबंध की शर्तों के अनुसार, एनआईसीएसआई को अग्रिम के रूप में पूरी राशि का भुगतान किया गया है। इस संबंध में कार्य प्रक्रियाधीन है, और इस प्रकार, एनआईसीएसआई को भुगतान की गई राशि को वर्ष 2022-23 के दौरान अग्रिम के रूप में दिखाया गया है।

(ix). वित्तीय वर्ष 2022-23 में, आयकर विभाग से 13 साल की अवधि यानी वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2021-22 तक की लंबी अवधि के लिए टीडीएस/टीसीएस की मांग की सूचना मिली थी। कुछ अवधियों के लिए उठाई गई मांग का भुगतान वर्ष के दौरान किया गया था। कुछ वर्षों के लिए, परिशोधन विवरणियां दाखिल की गई थीं और आयकर प्राधिकारियों द्वारा पावती दी गई है।

कुछ वर्षों से, आयकर प्राधिकारियों से समेकन फ़ाइल/एफयूवी फाइल मंगाई गई है और यह मामला वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। अनसुलझे मामलों के संदर्भ में, वर्ष 2022-23 के दौरान एक प्रावधान बनाया गया है।

(x). मुंबई बोर्ड पोर्ट अथॉरिटी (एमबीपीए) ने सितंबर 2005 से नवंबर 2021 तक की अवधि के लिए टीएमएमपी द्वारा एमबीपीए को 7,81,020.99/- रुपये की देय राशि के बारे में सूचित किया था। प्राधिकरण ने एमबीपीए की मांग को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया था कि टीएएमपी द्वारा एमबीपीए को समय पर भुगतान किए जाने के कारण इस मामले पर कोई देनदारी नहीं है। इस संबंध में, वर्ष 2005 से 2022 तक टीएएमपी द्वारा एमबीपीए को भुगतान की गई राशि का विवरण एमबीपीए के साथ साझा किया गया था और इस मामले पर चर्चा करने के लिए एमबीपीए अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित की गई थीं। एमबीपीए की ओर से मामले की जांच की जा रही है। टीएएमपी को अभी तक इस संबंध में एमबीपीए से कोई सूचना नहीं मिली है।

(xi). टीएएमपी कर्मचारी ईएल नकदीकरण और उपदान निधि से संबंधित लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए अलग-अलग प्राप्तियां और भुगतान खाते, आय और व्यय खाता तथा तुलनपत्र तैयार किए गए हैं।

टीएएमपी के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र के समय अर्जित छुट्टी नकदीकरण और उपदान का भुगतान करने में सक्षम होने के लिए, टीएएमपी द्वारा एक अलग टीएएमपी कर्मचारी ईएल नकदीकरण और उपदान निधि व्यवस्थित किया गया है।

(xii). प्राधिकरण उपदान और ईएल के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक की मुंबई शाखा में एक अलग बैंक खाता व्यवस्थित किया जा रहा है। निधि को राष्ट्रीयकृत बैंक के सावधि जमा में निवेश किया जाता है।

(xiii). अर्जित ब्याज अर्थात निवेश पर अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं है, उपार्जन आधार पर खातों में लेखाकरण किया जाता है। अंतर-मूल्यांकन अवधि के दौरान लाभ में सुधार या कटौती या निपटान जैसी कोई विशेष घटनाएं नहीं होती हैं।

(xiv). प्राधिकरण ने 31 मार्च 2023 तक अर्जित छुट्टी और उपदान के अपने परिभाषित लाभ दायित्व का बीमांकिक मूल्यांकन किया है। मूल्यांकनकर्ता की रिपोर्ट के अनुसार, उनकी रिपोर्ट में निर्धारित परिणाम एएस 15 के पैरा 120 की आवश्यकताओं और योजना में इसके क्रियान्वयन पर आधारित हैं और एएस 15 की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए तैयार किए गए हैं:

(क). *(i).* उपदान लाभ उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 या लागू सरकारी नियमों, जो भी अधिक हो, द्वारा शासित होते हैं।

(ii). एएस 15 के पैरा 120 (ख) के अनुसार योजना की विशेषताएं इस प्रकार हैं:

योजना का प्रकार	रोजगार के बाद लाभ
कर्मचारी अंशदान	*0%*
नियोक्ता अंशदान	*100%*
वेतन परिभाषा	महंगाई भत्ता सहित अंतिम आहरित मूल वेतन (यदि कोई हो)
लाभ की अधिकतम सीमा	20,00,000 रुपये की लाभ सीमा लागू की गई थी
निहित शर्तें	5 साल की निरंतर सेवा (मृत्यु/विकलांगता के मामले में लागू नहीं)
सेवानिवृत्ति पर लाभ	15/26 × वेतन × सेवा की अवधि या सेवानिवृत्ति लाभ नियम 50 (1) (ए) के अनुसार, जो भी अधिक हो
त्यागपत्र/आहरणों पर लाभ	बाहर निकलने तक सेवा के आधार पर सेवानिवृत्ति लाभ के समान
मृत्यु पर लाभ	सेवानिवृत्ति लाभ के समान लेकिन कोई निहित शर्त लागू नहीं होती है
सेवानिवृत्ति आयु •	*60* एवं *64* वर्ष

- योजना की विशेषताओं में उल्लिखित सेवानिवृत्ति की आयु से अधिक आयु वाले कर्मचारियों के मामले में, सेवानिवृत्ति तुरंत मानी जाती है और मूल्यांकन तदनुसार किया जाता है।

(iii). एएस 15 के पैरा 120 (ग) के अनुसार परिभाषित लाभ दायित्व का मिलान निम्नानुसार है:

(राशि रू. में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
प्रारंभिक परिभाषित लाभ दायित्व	*1,02,36,459*	*99,45,640*
दायित्व में/(से) अंतरण	-	-
वर्तमान सेवा लागत	*7,54,791*	*7,68,309*
ब्याज लागत	*6,20,853*	*6,17,287*
बीमांकिक हानि (लाभ)	*3,47,052*	*5,85,823*
पूर्व सेवा लागत	-	-
कटौतियों पर हानि (लाभ)	-	-
निपटानों पर पर देनदारियां समाप्त	-	-
खरीद की प्रकृति में एक समामेलन में परिकल्पित देनदारियां	-	-
विदेशी योजनाओं पर विनिमय अंतर	-	-
भुगतान किए गए लाभ	-	*(16,80,600)*
परिभाषित लाभ दायित्व को बंद करना	*1,19,59,155*	*1,02,36,459*

(iv). उपदान लाभ देनदारियां वित्तपोषित नहीं हैं यानी उपदान लाभ योजना को चलाने के लिए कोई अलग ट्रस्ट नहीं बनाया गया है। तथापि, टीएएमपी की देयता के बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, निधि को वार्षिक प्रेषण किया जाता है ताकि प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक देयता को पूरा किया जा सके। निधियों को राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि जमाओं में निवेशित किया जाता है।

(v). एएस 15 के पैरा 120 (छ) के अनुसार लाभ और हानि खाते का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि रू. में)

विवरण	*31* मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
वर्तमान सेवा लागत	*7,54,791*	*7,68,309*
दायित्व पर ब्याज	*6,20,853*	*6,17,287*
योजना परिसंपत्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	-	-
निवल बीमांकिक हानि/(लाभ)	*3,47,052*	*5,85,823*
मान्यता प्राप्त पिछली सेवा लागत-निहित	-	-
मान्यता प्राप्त पिछली सेवा लागत-अनिहित	-	-
कटौतियों और निपटान पर	-	-

हानि/(लाभ)		
कर्मचारी लाभ व्यय' में शामिल कुल	*17,22,696*	*19,71,419*

(vi). एएस 15 के पैरा 120 (ठ) के अनुसार वित्तीय धारणाएं इस प्रकार हैं:

विवरण	*31* मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
छूट दर	*7.45%* वार्षिक	*6.95%* वार्षिक
वेतन वृद्धि दर	*8.00%* वार्षिक	*6.00%* वार्षिक
योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ	लागू नहीं	लागू नहीं

(vii). एएस 15 के पैरा 120 (ढ) के अनुसार अनुभव समायोजन की तालिका:

(राशि रू. में)

विवरण	*31* मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
परिभाषित लाभ दायित्व	*1,19,59,155*	*1,02,36,459*
योजना परिसंपत्तियां	-	-
अधिशेष/(घाटा)	*(1,19,59,155)*	*(1,02,36,459)*
योजना देनदारियों पर अनुभव समायोजन	*2,24,649*	*5,67,019*
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि/(लाभ)	*1,22,403*	*18,804*
जनसांख्यिकीय धारणा में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि/ (लाभ)	-	-
योजना परिसंपत्तियों पर अनुभव समायोजन	-	-
वर्ष के लिए निवल बीमांकिक हानि/(लाभ)	*3,47,052*	*5,85,823*

(viii). उपदान की सीमा 20 लाख रुपये मानी गई है।

(ख). *(i).* अर्जित छुट्टी लाभ टीएएमपी की छुट्टी नीति द्वारा शासित होते हैं।

(ii). एएस 15 के पैरा 120 (ख) के अनुसार योजना की विशेषताएं इस प्रकार हैं:

योजना का प्रकार	अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ
कर्मचारी अंशदान	*0%*
नियोक्ता अंशदान	*100%*
नकदीकरण के लिए वेतन	टीएएमपी नियमों के अनुसार
प्राप्ति के लिए वेतन	टीएएमपी के लिए लागत
प्रतिवर्ष जमा होने वाली छुट्टी	*30* दिन
छुट्टी विभाजक	*30* दिन
अधिकतम संयचन	*300* दिन
सेवानिवृत्ति पर लाभ	छुट्टी दिवस*)* × अंतिम वेतन आहरण / *(*छुट्टी विभाजक
त्यागपत्र/आहरणों पर लाभ	मृत्यु अथवा त्यागपत्र/आहरणअथवा सेवानिवृत्ति
मृत्यु पर लाभ	सेवानिवृत्ति लाभ के समान
प्राप्ति पर लाभ	छुट्टी दिवस *x* प्राप्ति वेतन / छुट्टी विभाजक
सेवानिवृत्ति आयु•	*60* एवं *64* वर्ष

- योजना विशेषताओं में उल्लिखित सेवानिवृत्ति की आयु से अधिक आयु वाले कर्मचारियों के मामले में, सेवानिवृत्ति तुरंत मानी जाती है और मूल्यांकन तदनुसार किया जाता है।

(iii). एएस 15 के पैरा 120 (ग) के अनुसार परिभाषित लाभ दायित्व का मिलान निम्नानुसार है:

*(*राशि रू. में*)*

विवरण	*31* मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
प्रारंभिक परिभाषित लाभ दायित्व	*1,44,17,195*	*1,14,92,545*
दायित्व में/(से) अंतरण	-	-
वर्तमान सेवा लागत	*6,20,273*	*6,26,422*
ब्याज लागत	*8,63,938*	*6,84,346*
बीमांकिक हानि (लाभ)	*21,13,342*	*27,60,744*
पूर्व सेवा लागत	-	-
कटौतियों पर हानि (लाभ)	-	-
निपटानों पर देनदारियां समाप्ति	-	-
खरीद की प्रकृति में एक समामेलन में परिकल्पित देनदारियां	-	-
विदेशी योजनाओं पर विनिमय अंतर	-	-
भुगतान किया गया लाभ	*(4,12,338)*	*(11,46,862)*
अंत परिभाषित लाभ दायित्व	*1,76,02,410*	*1,44,17,195*

(iv). अर्जित छुट्टी लाभ देनदारियां वित्तपोषित नहीं हैं यानी अर्जित छुट्टी लाभ योजना को लागू करने के लिए कोई अलग ट्रस्ट नहीं बनाया गया है। तथापि, टीएएमपी की देयता के बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, निधि को वार्षिक प्रेषण किया जाता है ताकि प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को देयता को पूरा किया जा सके। निधियों का निवेश राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि जमा में किया जाता है।

(v). एएस 15 के पैरा 120 (छ) के अनुसार लाभ और हानि खाते का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि रू. में)

विवरण	*31* मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
वर्तमान सेवा लागत	*6,20,273*	*6,26,422*
दायित्व पर ब्याज	*8,63,938*	*6,84,346*
योजना परिसंपत्तियों पर अनुमानित प्रतिलाभ	-	-
निवल बीमांकिक हानि/(लाभ)	*21,13,342*	*27,60,744*
मान्यता प्राप्त पिछली सेवा लागत-निहित	-	-
कटौतियों और निपटान पर हानि/(लाभ)	-	-
'कर्मचारी लाभ व्यय' में शामिल कुल	*35,97,553*	*40,71,512*
पी एंड एल के लिए कुल प्रभार	*35,97,553*	*40,71,512*

(vi). एएस 15 के पैरा 120 (ढ) के अनुसार अनुभव समायोजन की तालिका:

(राशि रू. में)

विवरण	*31* मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
परिभाषित लाभ दायित्व	*1,76,02,410*	*1,44,17,195*
योजना परिसंपत्तियां	-	-
अधिशेष/(घाटा)	*1,76,02,410*	*1,44,17,195*
योजना देनदारियों पर अनुभव समायोजन	*6,06,870*	*23,71,425*
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि/(लाभ)	*21,77,699*	*3,89,319*
जनसांख्यिकीय धारणा में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि/ (लाभ)	*(6,71,227)*	-
योजना परिसंपत्तियों पर अनुभव समायोजन	-	-
वर्ष के लिए निवल बीमांकिक हानि/(लाभ)	*21,13,342*	*27,60,744*

(xv). वर्ष 2022-23 के दौरान विदेशी मुद्रा से संबंधित कोई लेनदेन नहीं हुए थे।

(xvi). अनुसूची संख्या 11 के अनुसार, "पूर्व अवधि मदों" की सूची संलग्न है।

(xvii). प्राधिकरण इंडियन ओवरसीज बैंक और भारतीय स्टेट बैंक की मुंबई शाखा में एक-एक बैंक खाता व्यवस्थित कर रहा है।

(xviii). पिछले वर्षों के आंकड़ों की, जहां भी आवश्यक समझा गया, फिर से गणना की गई है, पुन: समूहित, पुन: व्यवस्थित और पुन: वर्गीकृत किया गया है।

\- - - - -

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मार्च 2023 माह के लिए बैंक मिलान विवरण

बैंक नाम:	इंडियन ओवरसीज बैंक
शाखा नाम:	फोर्ट शाखा
ग्राहक आईडी:	4827235
खाता प्रकार:	बचत बैंक खाता
बैंक खाता सं.	001401000008048
बैंक आईएफएससी कोड:	IOBA0000014
बैंक मिलान माह:	मार्च - 2023

टीएएमपी बही खाते के अनुसार 31/3/2023 को जमाशेष		**(2,148,561.88)**
जोड़ें:		
(i) 3 अप्रैल 2023 को सांविदिक कर्मचारियों को किया गया भुगतान		254,798.00
(ii) भुगतान जारी किया गया लेकिन बैंक द्वारा नहीं किया गया		895,620.00
(iii) भुगतान जारी किया गया लेकिन बैंक द्वारा नहीं किया गया		1,108,304.00
	क	**110,160.12**
घटायें:		
(i). बैंक द्वारा डेबिट की गई राशि, बिल प्राप्त नहीं हुआ		5,726.00
(ii). बैंक द्वारा डेबिट की गई राशि, बिल प्राप्त नहीं हुआ		3,618.00
	ख	**9,344.00**
	(क-ख)	**100,816.12**
बैंक विवरण 31/3/2023 के अनुसार जमाशेष		**100,816.12**

31/3/2023 तक मिलान के ब्योरे

दिनांक	विवरण	राशि
28.2.2023	बैंक द्वारा एमटीएनएल ईसीएस के लिए डेबिट किया गया भुगतान, लेकिन प्रशासन से हमें बिल प्राप्त नहीं हुआ	5,726.00
28.3.2023	बैंक द्वारा एमटीएनएल ईसीएस के लिए डेबिट किया गया भुगतान, लेकिन प्रशासन से हमें बिल प्राप्त नहीं हुआ	3,618.00
31.3.2023	मार्च 2023 माह के लिए कर्मचारी वेतन (सीपीएफ) के लिए किया गया भुगतान, लेकिन बैंक द्वारा भुगतान नहीं किया गया	895,620.00
31.3.2023	मार्च 2023 माह के लिए कर्मचारी वेतन (एनपीएस) के लिए किया गया भुगतान, लेकिन बैंक द्वारा भुगतान नहीं किया गया	1,108,304.00
31.3.2023	अप्रैल 2023 माह में 03.04.2023 को डेबिट करने के लिए मार्च 2023 माह के लिए संविदा कर्मचारी भुगतान	254,798.00

मार्च 2023 के लिए लिक्विड जमा विवरण - 01 मार्च 2023 से 31 मार्च 2023

दिनांक	विवरण	डेबिट राशि	क्रेडिट राशि
01.03.2023	प्रारंभिक शेष मार्च 2023	26950000.00	
01.03.2023	लिक्विड जमा द्वारा		1248000.00
03.03.2023	लिक्विड जमा द्वारा		136000.00
06.03.2023	लिक्विड जमा द्वारा		8596000.00
20.03.2023	लिक्विड जमा द्वारा	2096000.00	
24.03.2023	लिक्विड जमा द्वारा		388000.00
28.03.2023	लिक्विड जमा द्वारा		100000.00
29.03.2023	लिक्विड जमा द्वारा		1608000.00
29.03.2023	लिक्विड जमा द्वारा		1742000.00
30.03.2023	लिक्विड जमा द्वारा		60000.00
	जोड़	29046000.00	13878000.00
	31 मार्च 2023 के लिए अंत जमाशेष		**15168000.00**

प्रतिक

लेखा कार्यपालक- (प्रतिक)

उ. नि/आ.सं.अ-(ते. सिं)

28-A

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

बैंक नाम:	भारतीय स्टेट बैंक
शाखा नाम:	माझगाँव शाखा
खाता प्रकार:	चालू बैंक खाता
बैंक खाता सं.	10005255712
बैंक आईएफएससी कोड:	SBIN0009054
बैंक मिलान माह:	मार्च 2023

टीएएमपी बैंक बही खाते के अनुसार 31-03-2023 को जमाशेष 20,584.70

जोड़ें:

क

20,584.70

घटायें:

ख -

20,584.70

31.3.2023 को बैंक विवरण के अनुसार जमाशेष **20,584.70**

जारी किए गए चैकों/एनईएफटी की सूची लेकिन बैंक में दिनांक 31.03.2023 तक भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए

दिनांक	विवरण	राशि
	कुल	-

प्रतिक

लेखा कार्यपालक- (प्रतिक)

उ. नि/आ.सं.अ-(र्त. सिं)

28-B

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

टीएएमपी कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि

31 मार्च 2023 को तलन पत्रक

राशि रू. में

देयताएं	2022-2023	2021-2022	परिसंपत्तियां	2022-2023	2021-2022
आरक्षित निधि (क)			**निवेश (क)**		
प्रारंभिक जमाशेष	2,13,54,212	2,24,49,774	आईओबी में सावधि जमाराशियां	2,29,96,716	2,02,86,716
जोड़ें: कर्मचारी अंशदान	13,47,478	11,03,997	एफडीआर पर प्रोद्भूत ब्याज	10,04,684	7,09,927
जोड़ें: कर्मचारी अंशदान	11,45,892	10,61,997			
जोड़ें: सीपीएफ ओ/एस बकाया पर ब्याज	15,73,335	14,73,406	**वर्तमान परिसंपत्तियां (ख)**		
	2,54,20,917	2,60,89,174			
घटायें: वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति निपटान	0	42,84,962	ऋण और अग्रिम	0	20,000
घटायें: वर्ष के दौरान आहरण	10,32,000	4,50,000			
जोड़	2,43,88,917	2,13,54,212			
			बैंक जमाशेष (ग)		
			इंडियन ओवरसीज बैंक	5,560	7,427
वर्तमान देयताएं (ख)					
महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण	209	209			
			आय एवं व्यय लेखा (घ)		
			शेष बी/एफ	3,30,351	2,12,604
			जोड़ें: आय पर व्यय की अधिकता	3,82,166	3,30,351
			घटायें: अंशदायित राशि	3,30,351	2,12,604
				3,82,166	3,30,351
जोड़ (क +ख)	**2,43,89,126**	**2,13,54,421**	**जोड़ (क +ख+ग+घ)**	**2,43,89,126**	**2,13,54,421**

उ.नि./आ. सं. अ
मुंबई, 04 मई 2023

निदेशक (ज्यो. वें)

सदस्य (वित्त)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
टीएएमपी कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

राशि रू. में

विवरण	2022-2023	2021-2022	विवरण	2022-2023	2021-2022
व्यय			आय		
बैंक प्रभार	71	71	बचत खाते पर ब्याज	2,802	5,085
सदस्यों के सीपीएफ बकाया पर ब्याज	15,73,302	14,73,406	एफडीआर पर ब्याज	11,88,405	11,38,041
			आय पर व्यय की अधिकता	3,82,166	3,30,351
जोड़	**15,73,373**	**14,73,477**	**जोड़**	**15,73,373**	**14,73,477**

उ.नि./आ. सं. अ
मुंबई, 04 मई 2023

निदेशक (ज्यो. वैं)

सदस्य (वित्त)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

टीएएमपी कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान लेखा

राशि रू. में

प्राप्तियां	2022-2023	2021-2022	भुगतान	2022-2023	2021-2022
प्रारंभिक जमाशेष			**निवेश और जमाराशियां**		
			सावधि जमाराशियां	1,68,36,000	1,74,31,000
बचत बैंक खाता	7,427	4,534	ऋण और अग्रिम	-	5,00,000
निवेश और जमाराशियां			**अन्य भुगतान**		
परिपक्व सावधि जमाराशियां	1,41,26,000	1,63,37,465	बैंक प्रभार	71	71
ऋण और अग्रिम	20,000	54,000	वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति निपटान	-	42,84,962
प्राप्त एफडीआर ब्याज	8,93,648	34,43,779	वर्ष के दौरान पीएफ आहरण	10,32,000	-
बचत बैंक जमाराशि ब्याज	2,802	5,085	टीएएमपी को भुगतान की गई राशि	-	3,47,641
अन्य आय					
टीएएमपी से प्राप्त राशि	3,30,351	3,46,000			
अन्य प्राप्तियां			**अंत जमाशेष**		
नियोक्ता और कर्मचारी अंशदान	24,93,403	23,80,238	बचत बैंक खाता	5,560	7,427
जोड़	**1,78,73,631**	**2,25,71,101**	**जोड़**	**1,78,73,631**	**2,25,71,101**

उ.नि./आ. सं. अ
मुंबई, 04 मई 2023

निदेशक (ज्यो. वें)

सदस्य (वित्त)

टीएएमपी कर्मचारी सीपीएफ न्यास खाता

बैंक नाम:	इंडियन ओवरसीज बैंक
शाखा का नाम:	फोर्ट शाखा
ग्राहक आईडी:	4827235
खाता प्रकार:	बचत बैंक खाता
बैंक खाता सं.:	01401000093967
बैंक आईएफएससी कोड:	IOBA0000014
बैंक समाधान माह:	मार्च 2023

टीएएमपी सीपीएफ बैंक बही के अनुसार 31.3.2023 को जमाशेष	**5,560.05**
जोड़ें:	**-**
क	**5,560.05**
घटायें:	
एनईएफटी पत्र/चैक जो जमा किया गया परंतु प्रस्तुत नहीं किया गया	-
ख	**5,560.05**
बैंक पास बुक 31.3.2023 के अनुसार जमाशेष	**5,560.05**

प्रतिक

लेखा कार्यपालक- (प्रतिक)

तेजल

उ. नि/आ.सं.अ-(ते. सिं)

31.3.2023 को इंडियन ओवरसीज बैंक, फोर्ट शाखा, मुंबई में टीएएमपी कर्मचारी सीपीएफ निधि खाता से संबंधित सावधि जमाराशियों के ब्योरे

क्र.सं.	निवेश की तारीख	प्रमाणपत्र सं.	नाम/संस्थान जहां निवेश किया गया	निवेश की राशि	निवेश की अवधि	ब्याज की दर	परिपक्वता की तारीख	परिपक्वता की राशि
1	20.07.2021	2014/NDRR/0899637	आईओबी, फोर्ट मुंबई	4,65,282	3 वर्ष 1 दिन	5.20%	21.07.2024	5,43,365
2	22.09.2021	2014/NDRR/0899890	आईओबी, फोर्ट मुंबई	6,73,434	3 वर्ष 1 दिन	5.20%	23.09.2024	7,86,448
3	24.01.2022	0014/NDRW/0337381	आईओबी, फोर्ट मुंबई	19,35,000	444 दिन	5.20%	13.04.2023	20,60,532
4	09.02.2022	0014/NDRW/0337458	आईओबी, फोर्ट मुंबई	3,19,000	444 दिन	5.20%	29.04.2023	3,39,695
5	16.03.2022	0014/NDRW/0337607	आईओबी, फोर्ट मुंबई	10,30,000	3 वर्ष 2 दिन	5.45%	18.03.2025	12,11,978
6	21.03.2022	0014/NDRW/0337633	आईओबी, फोर्ट मुंबई	11,58,000	3 वर्ष 2 दिन	5.45%	23.03.2025	13,62,592
7	29.03.2022	2019/NDRW/0337665	आईओबी, फोर्ट मुंबई	12,00,000	3 वर्ष 1 दिन	5.45%	30.03.2025	14,11,802
8	13.06.2022	2019/NDRW 0788159	आईओबी, फोर्ट मुंबई	16,80,000	3 वर्ष 1 दिन	5.60%	14.06.2025	19,85,324
9	14.07.2022	2021/NDRX 0229928	आईओबी, फोर्ट मुंबई	84,38,000	3 वर्ष 1 दिन	5.60%	15.07.2025	99,71,526
10	17.07.2022	2021/NDRX 0229946	आईओबी, फोर्ट मुंबई	24,61,000	3 वर्ष 1 दिन	5.60%	18.07.2025	29,08,263
11	23.09.2022	2021/NDRX 0234744	आईओबी, फोर्ट मुंबई	6,75,000	1000 दिन	6.00%	19.06.2025	7,94,697
12	29.09.2022	2021/NDRX 0234751	आईओबी, फोर्ट मुंबई	5,12,000	1000 दिन	6.00%	25.06.2025	6,02,792
13	05.11.2022	2021/NDRX 0230231	आईओबी, फोर्ट मुंबई	4,75,000	1000 दिन	6.00%	01.08.2025	5,59,231
14	22.12.2022	2021/NDRX 0234391	आईओबी, फोर्ट मुंबई	2,15,000	444 दिन	6.55%	10.03.2024	2,32,685
15	16.03.2023	2021/NDRX 0234661	आईओबी, फोर्ट मुंबई	3,80,000	444 दिन	7.00%	02.06.2024	4,13,399
16	18.03.2023	2021/NDRX 0234668	आईओबी, फोर्ट मुंबई	13,80,000	444 दिन	7.00%	03.06.2024	15,01,292
		जोड़		2,29,96,716				2,66,85,621

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
ईएल नकदीकरण और उपदान निधि खाता
31 मार्च 2023 को तुलन पत्रक

महाप्रप्रा TAMP

राशि रू. में

देयताएं	2022-23	2021-22	परिसंपत्तियां	2022-23	2021-22
ईएल नकदीकरण निधि (क)			**निवेश (क)**		
प्रारंभिक जमाशेष	1,44,17,195	1,14,92,545	आईओबी में सावधि जमाराशियां	2,85,98,905	2,45,15,961
जोड़ें: वर्ष के दौरान अंशदान	24,56,790	37,45,937	एफडीआर प्रोद्भूत ब्याज	12,28,377	6,60,365
जोड़ें: निधियों का अंतरण	7,28,425	3,25,575	जोड़	2,98,27,282	2,51,76,326
	1,76,02,410	1,55,64,057			
घटायें: वर्ष के लिए निपटान	-	11,46,862	**वर्तमान परिसंपत्तियां (ख)**		
	1,76,02,410	1,44,17,195			
			ऋण और अग्रिम - कर्मचारी	-	28159
उपदान निधि (ख)					
प्रारंभिक जमाशेष	1,02,36,459	99,45,640			
जोड़ें: वर्ष के दौरान अंशदान	12,05,502	16,89,667			
जोड़ें: निधियों का अंतरण	5,17,194	2,81,752			
	1,19,59,155	1,19,17,059			
घटायें: वर्ष के लिए निपटान	-	16,80,600			
	1,19,59,155	1,02,36,459	**बैंक जमाराशि (ग)**	7,422	13,243
आय एवं व्यय खाता (ग)					
प्रारंभिक जमाशेष	5,64,074	(9,26,832)			
वर्ष के लिए अधिशेष/(घाटा)	9,54,684	11,71,400			
पूर्व वर्ष अधिशेष/(घाटा)	(5,64,074)	9,26,832			
आंतरिक निधियां	(6,81,545)	(6,07,326)			
	2,73,139	5,64,074			
जोड़ (क+ख+ग)	**2,98,34,704**	**2,52,17,728**	**जोड़ (क+ख+ग)**	**2,98,34,704**	**2,52,17,728**

उ. नि/आ.सं.अ
मुंबई, 04 मई 2023

निदेशक (ज्यो.वें)

सदस्य (वित्त)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

ईएल नकदीकरण और उपदान निधि खाता

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता

राशि रू. में

विवरण	2022-23	2021-22	विवरण	2022-23	2021-22
व्यय			आय		
बैंक प्रभार	9,814	71	बचत खाता पर ब्याज	684	2,759
कर्मचारियों को भुगतान किया गया ईएल नकदीकरण	4,12,338	-	एफडीआर पर ब्याज	14,04,311	11,40,553
कर्मचारी से ईएल वसूली	28,159	-	कर्मचारियों से ईएल वसूली	-	28,159
	4,50,311	71		14,04,995	11,71,471
व्यय पर आय की अधिकता	**9,54,684**	**11,71,400**	**आय पर व्यय की अधिकता**	**-**	**-**
जोड़	**14,04,995**	**11,71,471**	जोड़	**14,04,995**	**11,71,471**

उ. नि/आ.सं.अ
मुंबई, 04 मई 2023

निदेशक (ज्यो.वें)

सदस्य (वित्त)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

ईएल नकदीकरण और उपदान निधि खाता

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान खाता

राशि रू. में

प्राप्तियां	2022-23	2021-22	भुगतान	2022-23	2021-22
प्रारंभिक जमाशेष			**किए गए निवेश और जमाराशियां**		
बचत बैंक खाता	13,243	5,610	बैंक में सावधि जमाराशियां	1,59,14,000	2,14,81,000
निवेश और परिपक्व जमाराशियां	1,19,03,200	1,49,33,144	**अन्य भगतान**		
			बैंक प्रभार	9,814	71
			टीएएमपी को वापिस की गई राशि	5,62,078	-
अन्य आय			**निधि निपटान**		
एफडीआर पर ब्याज	7,64,155	28,79,533	उपदान निधि	-	16,80,600
बचत बैंक खाता पर ब्याज	684	2,759	वर्ष के दौरान भुगतान किया गया ईएल नकदीकरण	4,12,338	11,46,862
अन्य प्राप्तियां			**अंत जमाशेष**		
टीएएमपी से प्राप्त अंशदान	42,24,370	65,00,730	बचत बैंक खाता	7,422	13,243
जोड़	**1,69,05,652**	**2,43,21,776**	जोड़	**1,69,05,652**	**2,43,21,776**

उ. नि/आ.सं.अ
मुंबई, 04 मई 2023

निदेशक (ज्यो.वें)

सदस्य (वित्त)

टीएएमपी कर्मचारी उपदान निधि खाता

बैंक का नाम:	इंडियन ओवरसीज बैंक
शाखा का नाम:	फोर्ट शाखा
ग्राहक आईडी:	4827235
खाता प्रकार:	बचत बैंक खाता
बैंक खाता सं.:	01401000096077
बैंक आईएफएससी कोड:	IOBA0000014
बैंक समाधान माह:	मार्च 2023

टीएएमपी उपदान बैंक बही के अनुसार 31.3.2023 को जमाशेष	**7,421.76**
जोडें:	
एनईएफटी पत्र जो जारी किए गए परंतु डेबिट नहीं	-
क	**7,421.76**
घटायें:	
एनईएफटी पत्र/जमा किए गए चैक परंतु प्रस्तुत नहीं किए गए	-
ख	**7,421.76**
बैंक पास बुक 31.3.2023 के अनुसार जमाशेष	**7,421.76**

प्रतिक

लेखा कार्यपालक - (प्रतिक)

तेजल

उ. नि/आ.सं.अ-(ते. सिं)

31.3.2023 को इंडियन ओवरसीज बैंक, फोर्ट शाखा, मुंबई में टीएएमपी कर्मचारी उपदान निधि खाता से संबंधित सावधि जमाराशियों के ब्योरे								
क्र.सं.	ब्योरे	निवेश की तिथि	प्रमाणपत्र सं.	निवेश की राशि	निवेश की अवधि	ब्याज की दर	परिपक्वता की तिथि	परिपक्वता पर राशि
1	EL/001	17.07.2021	2014/NDRR 0899620	17,99,905	3 वर्ष 1 दिन	5.20%	18.07.2024	21,01,962
2	EL/002	16.03.2022	2019/NDRW 0337608	26,00,000	3 वर्ष 2 दिन	5.45%	18.03.2025	30,59,361
3	EL/003	28.03.2022	2019/NDRW 0337653	24,37,000	3 वर्ष 1 दिन	5.45%	29.03.2025	28,67,135
4	EL/004	28.03.2022	2019/NDRW 0337656	11,47,000	3 वर्ष 1 दिन	5.45%	29.03.2025	13,49,448
5	EL/005	13.06.2022	2019/NDRW 0788160	11,15,000	3 वर्ष 1 दिन	5.60%	14.06.2025	13,17,641
6	EL/006	26.08.2022	2021/NDRX 0230177	10,60,000	3 वर्ष 1 दिन	5.70%	27.08.2025	12,56,359
7	EL/007	05.11.2022	2021/NDRX 0230230	11,35,000	1000 दिन	6.00%	01.08.2025	13,36,268
8	EL/008	18.03.2023	2021/NDRX 0234666	21,58,000	444 दिन	7.00%	03.06.2024	23,47,673
उप जोड़ क - अर्जित छुट्टी				1,34,51,905				1,56,35,847
9	GRA/001	28.03.2022	2019/NDRW 0337655	16,81,000	3 वर्ष 1 दिन	5.45%	29.03.2025	19,77,700
10	GRA/002	29.03.2022	2019/NDRW 0337664	19,60,000	3 वर्ष 1 दिन	5.45%	30.03.2025	23,05,944
11	GRA/003	14.07.2022	2021/NDRX 0229929	70,40,000	3 वर्ष 1 दिन	5.60%	15.07.2025	83,19,452
12	GRA/004	17.07.2022	2021/NDRX 0229947	23,62,000	3 वर्ष 1 दिन	5.60%	18.07.2025	27,91,271
13	GRA/005	04.03.2023	2021/NDRX 0234636	9,00,000	444 दिन	7.00%	21.05.2024	9,79,104
14	GRA/006	18.03.2023	2021/NDRX 0234667	12,04,000	444 दिन	7.00%	03.06.2024	13,09,823
उपजोड ख- उपदान				1,51,47,000				1,76,83,294
जोड़				2,85,98,905				3,33,19,141

वर्ष *2022-23* के लिए वार्षिक लेखा और लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

1. परिचय

महापत्तन न्यासों और वहां पर निजी टर्मिनलों द्वारा वसूल किए जाने वाले प्रशुल्क निर्धारित और संशोधित करने के लिए स्वतंत्र महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण के लिए महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 को पत्तन विधि (संशोधन) अधिनियम 1997 (1997 का 15) द्वारा संशोधित किया गया था। उपर्युक्त प्रयोजन के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण का गठन ***10*** अप्रैल ***1997*** को नई दिल्ली में मुख्यालय के साथ किया गया था। महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण का मुख्यालय ***8*** नवंबर ***2002*** से नई दिल्ली से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया है। प्राधिकरण तिमाही आधार पर पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा जारी सहायता अनुदान से अपना पूरा खर्च वहन करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण अधिनियम, *2021, 3* नवंबर *2021* से लागू हो गया है। परिणामस्वरूप, महापत्तन न्यास अधिनियम, *1963* को निरस्त कर दिया गया है। इस प्रकार, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण अब महापत्तनों या वहां प्रचालनरत निजी प्रचालकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए प्रशुल्क निर्धारित नहीं करता है।

महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, *2021* की धारा *54 (1)* के तहत पहले परंतुक के अनुसार, अधिनिर्णयन बोर्ड के गठन तक, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण उक्त अधिनियम के तहत न्यायिक बोर्ड के कार्यों का निर्वहन करेगा और न्यायिक बोर्ड के गठन के तुरंत बाद अस्तित्व में नहीं रहेगा। महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, *2021* की धारा *54* के तहत निर्णायक बोर्ड का गठन किया जाना बाकी है।

2. वित्तीय स्थिति:

वर्ष ***2022-23*** के दौरान, सरकार से ***875.00*** लाख रुपये का सहायता-अनुदान प्राप्त था, जबकि पिछले वर्ष यह ***666.07*** लाख रुपये था। वर्ष के दौरान कुल व्यय ***780.67*** लाख रुपए था जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह ***874.74*** लाख रुपए था।

3. परिसंपत्तियां और देनदारियां:

पिछले दो वर्षों के लिए व्यापक शीर्षों के तहत महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण की परिसंपत्तियां और देनदारियां निम्नानुसार हैं:

(रू. लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
क. देयताएं		
पूंजी आरक्षित निधियां	***72.16***	***10.15***
वर्तमान देयताएं	***131.15***	***129.52***
आस्थगित सरकारी अनुदान	***37.05***	***22.63***
ख. परिसंपत्तियां		
अचल परिसंपत्तियां	***37.05***	***22.63***
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	***203.31***	***139.67***

4. **सामान्य आरक्षित निधि:**

चूंकि प्राधिकरण अपने व्यय को सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान से पूरा करता है और उपलब्ध अधिशेष, यदि कोई हो, को अगले वर्ष के लिए सहायता अनुदान के साथ समायोजित किया जाता है, इसलिए सामान्य आरक्षित निधि के सृजन का प्रश्न ही नहीं उठता।

5. **पूंजीगत ऋण:**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, प्राधिकरण ने सरकार या किसी अन्य संगठन से कोई ऋण नहीं लिया है।